

- व जिला हनुमानगढ़
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़
  - राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी

प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

निर्णय

दिनांक:- 15.11.21

वादी की ओर से श्री प्रदीप पारीक अधिवक्ता व श्री बनवारीलाल पारीक अधिवक्ता प्रतिवादी वाद में आज दिनांक को डॉ० अवि गर्ग, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री जारी की जाती है वादीगण व प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् के अनुसार वादपत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 मुताबिक राजीनामा कि तहसील हनुमानगढ़ के तहसील हनुमानगढ़ में वादी-पुरखाराम के नाम की चक 9 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 23/21 के पत्थर नम्बर 167/347 (21) किला नम्बर 12/1/.063, 13/.253, 14/2/.127 कुल 0.443 हैक्टेयर का प्रतिवादी संख्या 1 बलराम को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा इस खाता से वादी पुरखाराम पुत्र श्री शेराराम का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं इसी प्रकार तहसील टिब्बी के चक 8 एम.जेड.डब्ल्यू. के खाता संख्या 93/16 के पत्थर नम्बर 179/370 (41) के किला नम्बर 9/2/.127, 10/.253, 10/.253, 11/.253, 12/.253 है. कुल 0.886 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.4430 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 बलराम का नाम कलमजन कर वादी-पुरखाराम को समस्त खाते का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदि न हो व प्रश्नगत भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने पर व स्वयं काश्तकार का विवाद ना होने पर ही डिक्री का अमलदरामद किया जावे।



मिलान किया

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15.11.21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मेहर

(डॉ० अवि गर्ग)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर  
हनुमानगढ़

कैम्प गावों के संग अभियान 2021

कैम्प स्थल ग्राम पंचायत

--:--वाद के खर्चे:--

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वादपत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
.....रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामील	---		---
योग	---	योग	---

प्रमाणित प्रतिलिपि  
उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

(डॉ० अवि गर्ग)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर  
हनुमानगढ़

कैम्प गावों के संग अभियान 2021

कैम्प स्थल ग्राम पंचायत

मिलान किया